न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 72/2021
पंजीयन दिनांक 30.09.2021

चेनसिंह पिता किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुडली तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।

-अपीलांट

बनाम

(1). गंगासिंह पिता किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडली तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।
(2). तहसीलदार छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी
प्रकरण संख्या 87/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांट
(2). चन्दनमल जणवा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

निर्णय दिनांक 16.11.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा गुडली तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 395 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आराजी संख्या 396 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आराजी संख्या 397 रकबा 0.07 हैक्टेयर, आराजी संख्या 400 रकबा 0.41 हैक्टेयर, आराजी संख्या 406 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आराजी संख्या 407 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.63 हैक्टेयर स्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 करीब 52 वर्षो से निरन्तर बिना किसी रोक टोक के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के नाम दर्ज हो गई परन्तुत कब्जा प्रारंभ से ही वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही चला आ रहा है जिससे कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार काश्तकार होकर होकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है । अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी मे दर्ज की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का नाम राजस्व रेकॉर्ड से विलोपित किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादी सख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दिनांक 10.05.2017 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकतरफा बहस सुनी जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है ।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात जो कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है जिस पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर एकतरफा साक्ष्य ली जाकर व वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकतरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 10.05.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों व मौखिक अभिवचनों से प्रमाणित हुए बिना ही उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा मुखालफाना होना मानकर कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित किया जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से विलोपित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात की खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दिनांक 10.05.2017 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकतरफा बहस सुनी जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का खातेदार घोषित किया जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से विलोपित किये जाने व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2017 को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकतरफा साक्ष्य ली जाकर व वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकतरफा बहस सुनी जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को बिना सुने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। दौराने बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी सख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी प्रकरण संख्या 87/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2017 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 19.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)